

परिशिष्ट


माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 02.मई 2008 में जिले में किये गये प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

- गौरी तालाब के सम्पूर्ण जीर्णोद्धार हेतु 2 करोड़ रुपये दिये जाने ।
- करवा भिण्ड में सीवरलाइन डालने के लिए स्वीकृत किये जाने की घोषणा की गई ।
- कनेरा सिंचाई उद्वहन परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा की गई ।
- द्यूबवैल कनेक्शन पर 50 प्रतिशत की सबसिडी दिये जाने की घोषणा की गई ।

उक्त घोषणाओं के संबंध में संबंधित विभागों के द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई । जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

सं0क्र0	घोषणा का विवरण	कार्यालय प्रमुख का नाम	की गई कार्यवाही
1	भिण्ड गौरी तालाब के सम्पूर्ण जीर्णोद्धार हेतु 2 करोड़ रुपये कलेक्टर के खाते में 29.07.2011 से जमा किये जाने बाबत घोषणा क्र0 4238	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद भिण्ड	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद भिण्ड के पत्र क्र0 निर्माण 2015/393 दिनांक 11.02.2015 द्वारा सूचित किया गया है, कि उक्त कार्य हेतु पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको) भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक 1689 दिनांक 28.06.2011 से रुपये 50.00 लाख कलेक्टर भिण्ड + रुपये 2.50 लाख पीरफॉर्मन्स शुल्क @ 5 प्रतिशत के रूप में एफको की स्वीकृति प्रदान कर दिनुक्त की गई है । एफको द्वारा प्रदत्त राशि कलेक्टर भिण्ड के खाते में दिनांक 29.07.2011 से जमा है । निकाय की मांग अनुरूप राशि प्रदाय की जावेगी ।
2	भिण्ड शहर की लंबित सीवर प्रोजेक्ट की स्वीकृति दिये जाने घोषणा क्रमांक 4239	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद भिण्ड	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद भिण्ड के पत्र क्र0 स्वा./2014/6199 दिनांक 22.11.2014 द्वारा अवगत कराया गया है, कि शहर में सीवर प्रोजेक्ट तैयार कराया जाकर निकाय द्वारा UIDSSMT योजना अन्तर्गत परिषद के संकल्प क्रमांक 01 दिनांक 16.01.2014 को 289.33 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर पत्र क्रमांक 165 दिनांक 17.01.2014 से कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास ब्यालियर के अनुशंसा पत्र क्रमांक 41 दिनांक 20.01.2014 से मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल की ओर भेजी गई । जिसको मध्यप्रदेश शासन की ओर से केन्द्र सरकार की ओर मंजूरी हेतु भेजा गया, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है ।
3 (अ)	कनेरा सिंचाई उद्वहन परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा की गई । घोषणा क्रमांक 4240	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग भिण्ड	योजना की स्वीकृति प्राप्त एवं बजट में शामिल है योजना अन्तर्गत मैकेनिकल कार्य के लिये एजेन्सी निर्धारित की जाकर कार्य प्रगति पर सिविल कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई है । कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन भिण्ड के पत्र क्र0 2107 दिनांक 28.08.2010 के द्वारा जिला भिण्ड के अटेर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कनेरा ग्राम के पास चंबल नदी पर निर्माणधीन कनेरा उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण हेतु निम्न कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है ।
(ब)	द्यूबवैल कनेक्शन पर 50 प्रतिशत की सबसिडी दिये जाने की घोषणा की गई ।	यंत्री जल संसाधन संभाग भिण्ड	3. कनेरा उद्वहन सिंचाई योजना पर मैकेनिकल कार्यों की एजेन्सी निर्धारित कर पन्च एवं पाइप प्रदाय कर मार्च 2010 तक 1417.70 लाख व्यय किये जा चुके हैं । 4. सिविल कार्य एवं पक्के कार्यों की एजेन्सी निर्धारित कर माह मार्च 2011 तक 431.75 लाख व्यय किया जा चुका है । चंबल घडियालक्षेत्र के बाहर कार्य प्रगति पर है ।

घोषणा क्रमांक 4240		<p>बडियाल क्षेत्र में कार्य करने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन मान0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दिनां 16.09.2008 को प्रस्तुत किया जा चुका है । कनेरा उद्वहन सिंचाई योजना का 414 हेक्टर क्षेत्र में कार्य करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा जा चुका है ।</p> <p>मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर द्वारा प्रस्ताव पर वन मण्डलाधिकारी मुरैना की अनुपसा सहित प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्र0 10849 दिनांक 07.10.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक बन्धवाणी भोपाल को भेजा जा चुका है । तत्पश्चात वायोडायवर्सिटी प्रभाव के आकलन हेतु वाइल्ड लाइफ इन्स्टीट्यूट देहरादून द्वारा डाफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है एवं अंतिम रिपोर्ट माह सितम्बर में प्रस्तुत किया जाना संभावित है तत्पश्चात रिपोर्ट म0प्र0 राज्य के वाइल्ड लाइफ बोर्ड को प्रेषित की जावेगी तत्पश्चात म0प्र0 राज्य वाइल्ड लाइफ बोर्ड की सहित प्रकरण साधिकार समिति नई दिल्ली को भजा जाकर मान् सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जावेगी ।</p> <p>वर्तमान में कार्यपालन यन्त्री जल संसाधन संभाग मुरैना के अधिस्त है ।</p>
-----------------------	--	--


अधिकारी
 जल संसाधन विभाग,
 मध्य प्रदेश शासन,
 सांख्य प्रशासन विभाग